

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना बिलरियागंज

लड़की को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तारघटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.01.2022 को वादिनी जनपद नोयडा (उ प्र) द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दी कि अवधेश यादव पुत्र पलकधारी यादव सा0 शहाबुद्दीनपुर थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा सेक्टर 59 ममूरा नोएडा उ0प्र0 में शादी का झांसा देकर वर्ष 2020 से लगातार शारीरिक सम्बन्ध बनाने तथा शादी के लिए कहने पर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में दाखिल किया था। के सम्बन्ध में, थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 19/2022 धारा 376/506 भा0द0वि0 अवधेश यादव पुत्र पलकधारी यादव सा0 शहाबुद्दीनपुर थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 14.07.2022 को अभियुक्त अवधेश यादव उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 14.07.2022 को उ0नि0 आकाश कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अवधेश यादव उपरोक्त को नसीरपुर चौराहे के पास से समय करीब 10.15 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. अवधेश यादव पुत्र पलकधारी यादव सा0 शहाबुद्दीनपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 19/2022 धारा 376/323/504/506 भा0द0वि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी स्थान

1. नसीरपुर चौराहा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 आकाश कुमार बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
2. का0 शशि प्रकाश सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

थाना रौनापारजमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर वादिनी को बेचकर 03 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाले 02 अभियुक्तगिरफ्तार

1. पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण – वादिनी श्रीमती गुलाबी देवी पत्नी बेचू राम सा0 सादीपट्टी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के टाइपशुदा प्रार्थना कि विपक्षी गण द्वारा षण्यन्त्र, जाल साजी व धोखाधड़ी करके वादिनी से 300000 रुपये (तीन लाख रु0) लेकर जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर वादिनी को बेच देना तथा बाद में जमीन पर कब्जा न करने देना और नही पैसे वापस करने के सम्बन्ध में दाखिल किये जिसके के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 194/22 धारा 406/419/420/467/468/471 भादवि बनाम (1). रामजतन पुत्र महावल हरिजन सा0 आ0 दे0 नैनीजोर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ (2). लालती देवी स्त्री जंगबहादुर हरिजन सा0 रौनापार (डिहवा) थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।
2. गिरफ्तारी का विवरण - दिनांक 14.07.2022 को थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त (1) रामजतन पुत्र महावल हरिजन सा0 आ0 दे0 नैनीजोर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ (2). लालती देवी स्त्री जंगबहादुर हरिजन सा0 रौनापार (डिहवा) थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को रौनापार तिराहे से समय करीब 12.10 बजे अभियुक्त/अभियुक्ता उपरोक्त महिला आरक्षी के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 194/22 धारा 406/419/420/467/468/471 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. रामजतन पुत्र महावल हरिजन सा0 आ0 दे0 नैनीजोर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
2. लालती देवी स्त्री जंगबहादुर हरिजन सा0 रौनापार (डिहवा) थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष अखिलेश चन्द्र पाण्डेय उ0नि0 भगवान यादव का0 राहुल सिंह म0का0 शशिबाला थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

थाना बिलरियागंज

दहेज हत्या के 02 आरोपी गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.05.2022 को आवेदक इन्तराम पुत्र स्व0 भिकू राम ग्राम व पो0 बरोही फतेहपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़ द्वारा लिखित सूचना दी कि मेरी लड़की अन्नू राजभर उम्र 22 वर्ष को उसके पति राहुल राजभर पुत्र योगेन्द्र उर्फ योगी राजभर व सास गीता देवी व ससुर योगेन्द्र उर्फ योगी राजभर निवासीगण सिवलखा थाना बिलरियागंज आजमगढ़ द्वारा दिनांक 9/5/2022 को समय 11.00 बजे रात्रि को दहेज के लिए मारपीट कर हत्या कर दिया गया, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 87/2022 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट बनाम (1) राहुल राजभर पुत्र योगेन्द्र उर्फ योगी राजभर (2) सास गीता देवी पत्नी योगेन्द्र उर्फ योगी राजभर (3) ससुर योगेन्द्र उर्फ योगी राजभर पुत्र अज्ञात साकि0 सिवलखा थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 14.07.2022 को वांछित अभियुक्त योगेन्द्र व अभियुक्ता गीता देवी को गिरफ्तार के जेल भेज गया है।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 14.07.2022 को थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य मय फोर्स द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त योगेन्द्र उर्फ योगी राजभर व गीता देवी को ग्राम सिवलखा से समय करीब 08.20 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

योगेन्द्र उर्फ योगी राजभर पुत्र चिथरू राजभर निवासी ग्राम सिवलका थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

श्रीमती गीता देवी पत्नी योगेन्द्र उर्फ योगी राजभर निवासी ग्राम सिवलका थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 87/2022 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी स्थान

वहद ग्राम सिवलका थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य का0 नितिन कुमार का0 संजीव कुमार सिंह का0 अजय सिंह म0का0 शिखा पाण्डेय बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

थाना जहानागंज

दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना- वादिनी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के लिखित तहरीर पर मु0अ0सं0 300/22 धारा 376,452,323,504, 506 आईपीसी बनाम 1.सुनील सरोज पुत्र रामलगन सरोज ग्राम समसुदीनपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ 2.अभिषेक सरोज पुत्र पप्पु सरोज नि0 रस्तीपुर थाना तरवा आजमगढ़ दिनांक 13.07.2022 को पंजीकृत पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण: दिनांक-14.07.2022 को प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त सुनील सरोज S/O रामलगन सरोज ग्राम समसुदीनपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को अभियुक्त के घर ग्राम समसुदीनपुर से समय करीब 10.20 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 300/22 धारा 376,452,323,504,506 आईपीसी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अभियुक्त सुनील सरोज S/O रामलगन सरोज ग्राम समसुदीनपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण

1- प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमेन्द्र कुमार सिंह का0 शुभम सिंह का0 प्रवीण कुमार म0का0 सावित्री गुप्ता थाना जहानागंज आजमगढ़

थाना सरायमीर

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 14.07.2022 को उ0नि0 संजय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा खण्डवारी नहर पुलिया के पास चेकिंग के दौरान बहद खण्डवारी से 01 अदद तमंचा 303 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 303 बोर के साथ एक नफर अभि0 1. शादाब पुत्र स्व0 मोतीन सा0 खण्डवारी थाना सरायमीर जनपद आमजगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष को समय करीब 06.40 बजे गिरफ्तारी किया गया, जिसके विरुद्ध मु0अ0सं0 140/2022 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को जेल भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 140/2022 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- निम्नवत है –

1. मु0अ0सं0 448/06 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।
2. मु0अ0सं0 83/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।
3. मु0अ0सं0 74/15 धारा 147/148/307/504 भादवि व 3(1)द,3(2)v एससी/एसटी एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।
4. मु0अ0सं0 13/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।
5. मु0अ0सं0 531/09 धारा 147/342/427/436/504 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।
6. मु0अ0सं0 532/09 धारा 147/152/308/332/336/34/342/504/506 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. शादाब पुत्र स्व0 मोतीन सा0 खण्डवारी थाना सरायमीर जनपद आमजगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 संजय कुमार सिंह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।
2. का0 हितेन्द्र यादव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।
3. का0 नीरज शाह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।
4. का0 श्याम कुमार थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।

थाना-मेहनाजपुर

किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- 14.07.2022 को प्र0व0उ0नि0 मोतीलाल पटेल मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 65/2022 से संबंधित अभियुक्त किशन राजभर पुत्र कल्टू राजभर को अभियुक्त के घर बहलोलपुर समय करीब 06.40 बजे कारण गिरफ्तारी बताते हुए गिरफ्तार कर लिया गया अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पंजीकृत अभियोग –

1. मु0अ0सं0 65/2022 धारा 363, 366, 376 भादवि व 3(2)(5) SC/ST Act व ¾ पाक्सो एक्ट थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त :

1. किशन राजभर पुत्र कल्टू राजभर निवासी बहलोलपुर थान मेहनाजपुर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम:

1. प्र0उ0नि0 मोती लाल पटेल थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
2. का0 अनुपम पटेल थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
3. का0 विनोद यादव थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- मेहनाजपुर

आज दिनांक- 14.07.2022 को माननीय न्यायालय SPL(J)P आजमगढ़ द्वारा थाना मेहनाजपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 10/14 धारा 354क, 354 ख, 506 भादवि व आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त बलवन्त सिंह यादव पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी देईपुर बघांव थाना बहरियाबाद , जनपद गाजीपुर को दोष सिद्ध पाते हुए धारा 354 (क) में 02 वर्ष के कठोर कारावास व 354 (ख) में 05 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये/- का अर्थदण्ड व धारा 506 भादवि में 01 वर्ष का कारावास व आर्म्स एक्ट में 05 वर्ष का कठोर कारावास व 30 हजार रूपये/- के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थ दण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा साथ-साथ चलेगी।

थाना- महाराजगंज

चेकिंग के दौरान अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 14.07.22 को उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन से भैरोदासपुर बैरियर से एक अदद तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ विशाल गिरी पुत्र विरेन्द्र गिरी निवासी उसुरकुढ़वा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ से समय करीब 07.50 बजे सुबह पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 269/2022 धारा 3/25 A. ACT थाना महाराजगंज आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

I.मु0अ0सं0 269/2022 धारा 3/25 A.ACT थाना महाराजगंज आजमगढ़

II.मु0अ0सं0 94/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना महाराजगंज आजमगढ़

III.मु0अ0सं0 201/22 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम थाना महाराजगंज आजमगढ़

IV.मु0अ0सं0 200/20 धारा 323, 354, 427, 504 IPC थाना महाराजगंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.विशाल गिरी पुत्र विरेन्द्र गिरी निवासी उसुरकुढ़वा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़।

बरामदगी-

एक अदद तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

SO श्री कमलकान्त वर्मा के नेतृत्व में उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह मय हमराह हे0का0 हरेन्द्र यादव व का0 अखिलेश यादव थाना महाराजगंज आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति

प्रदेश स्तर पर चिन्हित आपराधिक माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह गैंग के सहयोगी 03 अपराधियों की खोली गयी हिस्ट्रीशीट

आज दिनांक – 14.07.2022 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा थाना प्रभारी जीयनपुर के आख्या के आधार पर प्रदेश स्तर पर चिन्हित आपराधिक माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह गैंग के सहयोगी 03 अपराधियों के आपराधिक क्रिया- कलापों पर सतत निगरानी हेतु हिस्ट्रीशीट खोली गयी। विवरण निम्नवत है-

- 1- अभियुक्त सूर्य प्रकाश उर्फ घल्लर पुत्र लक्षिराम, निवासी आरिफपुर, थाना- जीयनपुर आजमगढ़ विरूद्ध थाना जीयनपुर पर कुल 06 मुकदमें पंजीकृत है, पूर्व में गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की जा चुकी है। अभियुक्त द्वारा हत्या, रंगदारी, व मारपीट लूट जैसी घटना कारित किया गया है, अभियुक्त एक अपराधी एवं शातिर किस्म का व्यक्ति है तथा आम जनता के व्यक्तियों को डरा-धमकाकर मारपीट कर जनता में दहशत फैलाना इसकी आम शोहरत है तथा अपराधी के रूप में उभरकर अपराध करने में लिप्त है।
- 2- अभियुक्त मुन्ना सिंह पुत्र श्रीकान्त सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना- जीयनपुर आजमगढ़ विरूद्ध थाना जीयनपुर पर कुल 03 मुकदमें पंजीकृत है, पूर्व में गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की जा चुकी है। अभियुक्त द्वारा हत्या व मारपीट जैसी घटना कारित किया गया है, अभियुक्त एक अपराधी एवं शातिर किस्म का व्यक्ति है तथा आम जनता के व्यक्तियों को डरा-धमकाकर मारपीट कर जनता में दहशत फैलाना इसकी आम शोहरत है तथा अपराधी के रूप में उभरकर अपराध करने में लिप्त है।
- 3- अभियुक्त शिवकुमार यादव पुत्र देवपति निवासी खतीबपुर, थाना- जीयनपुर आजमगढ़ विरूद्ध कुल 03 मुकदमें पंजीकृत है, पूर्व में गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की जा चुकी है। अभियुक्त द्वारा हत्या, रंगदारी, व मारपीट लूट जैसी घटना कारित किया गया है, पूर्व में अभियुक्त के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की जा चुकी है। अभियुक्त एक अपराधी एवं शातिर किस्म का व्यक्ति है तथा आम जनता के व्यक्तियों को डरा-धमकाकर मारपीट कर जनता में दहशत फैलाना इसकी आम शोहरत है तथा अपराधी के रूप में उभरकर अपराध करने में लिप्त है।

प्रेस विज्ञप्ति

पुलिस अधीक्षक ने 08 अपराधियों की खोली हिस्ट्रीशीट

आज दिनांक – 14.07.2022 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा थाना प्रभारी मुबारकपुर, गम्भीरपुर, महाराजगंज, मेंहनगर, जीयनपुर व थान प्रभारी बरदह के आख्या के आधार पर 08 अपराधियों के आपराधिक क्रिया- कलापों पर सतत निगरानी हेतु हिस्ट्रीशीट खोली गयी। विवरण निम्नवत है-

- 1- अभियुक्त सुशील पाण्डेय उर्फ गोलू पाण्डेय निवासी नीबी बुजुर्ग, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़ (लूट, हत्या) विरुद्ध थाना मुबारकपुर पर कुल 17 मुकदमें पंजीकृत है। अभियुक्त द्वारा चोरी, लूट व हत्या की घटना कारित की गयी है, अभियुक्त एक अपराधी एवं शातिर किस्म का व्यक्ति है तथा आम जनता के व्यक्तियों को डरा-धमकाकर मारपीट कर जनता में दहशत फैलाना इसकी आम शोहरत है तथा अपराधी के रूप में उभरकर अपराध करने में लिप्त है।
- 2- अभियुक्त चन्दन राय पुत्र गुरू प्रसाद राय उर्फ बेचू राय निवासी अमौड़ा, थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ (हत्या) विरुद्ध थाना गम्भीरपुर पर कुल 08 मुकदमें पंजीकृत है। अभियुक्त के पिता गुरू प्रसाद राय उर्फ बेचू राय एक आपराधिक एवं हत्यारा किस्म का व्यक्ति था, अभियुक्त को हत्या के मुकदमें में आजीवन कारावास की सजा हुयी है, पूर्व में अभियुक्त के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की जा चुकी है। अभियुक्त एक अपराधी एवं शातिर किस्म का व्यक्ति है तथा आम जनता के व्यक्तियों को डरा-धमकाकर मारपीट कर जनता में दहशत फैलाना इसकी आम शोहरत है तथा अपराधी के रूप में उभरकर अपराध करने में लिप्त है।
- 3- अभियुक्त संत विजय यादव पुत्र रामजीत यादव निवासी आराजी अमानी थाना महाराजगंज आजमगढ़ (हत्या) के विरुद्ध थाना महाराजगंज पर कुल 05 मुकदमें पंजीकृत है। अभियुक्त द्वारा स्वयं की पत्नी अंतिमा की गोली मारकर हत्या कर दिया गया था, अभियुक्त एक अपराधी एवं शातिर किस्म का व्यक्ति है तथा आम जनता के व्यक्तियों को डरा-धमकाकर मारपीट कर जनता में दहशत फैलाना इसकी आम शोहरत है तथा अपराधी के रूप में उभरकर अपराध करने में लिप्त है।
- 4- अभियुक्त ब्रम्हानन्द यादव उर्फ नंगा यादव पुत्र लाल जी यादव निवासी ठुठवा मुस्ताफाबाद थाना मेंहनगर आजमगढ़ (लूट) के विरुद्ध थाना मेंहनगर पर कुल 05 मुकदमें पंजीकृत है। अभियुक्त एक अपराधी एवं शातिर किस्म का व्यक्ति है तथा अपने भाईयो के साथ मिलकर मारपीट, झगड़ा व लूट जैसी घटना को अंजाम दिया गया, आम जनता के व्यक्तियों को डरा-धमकाकर मारपीट कर जनता में दहशत फैलाना इसकी आम शोहरत है तथा अपराधी के रूप में उभरकर अपराध करने में लिप्त है।
- 5- अभियुक्त चन्दन यादव पुत्र रामदुलार यादव निवासी गंजोर थाना मेंहनगर आजमगढ़ (हत्या) के विरुद्ध थाना मेंहनगर पर कुल 04 मुकदमें पंजीकृत है। अभियुक्त एक अपराधी एवं शातिर किस्म का व्यक्ति है तथा अपने भाईयो के साथ मिलकर मारपीट, गाली गलौज व हत्या जैसी घटना को अंजाम दिया गया, आम जनता के व्यक्तियों को डरा-धमकाकर मारपीट कर जनता में दहशत फैलाना इसकी आम शोहरत है तथा अपराधी के रूप में उभरकर अपराध करने में लिप्त है।
- 6- अभियुक्त आमिर पुत्र फसी मोहम्मद निवासी शाहपुर नेवादा, थाना- जीयनपुर आजमगढ़ (हत्या) के विरुद्ध थाना जीयनपुर पर कुल 04 मुकदमें पंजीकृत है। अभियुक्त एक अपराधी एवं शातिर किस्म का व्यक्ति है तथा अपने साथियों के साथ गिरोह बनाकर मारपीट व हत्या जैसे संगीन अपराध किया गया, आम जनता के व्यक्तियों को डरा-धमकाकर मारपीट कर जनता में दहशत फैलाना इसकी आम शोहरत है तथा अपराधी के रूप में उभरकर अपराध करने में लिप्त है।

- 7- अभियुक्त रतिलाल पुत्र सतिराम राजभर निवासी इसहाकपुर, थाना- बरदह आजमगढ़ (आपराधिक) के विरूद्ध थाना बरदह पर कुल 03 मुकदमें पंजीकृत हैं। अभियुक्त एक अपराधी एवं शातिर किस्म का व्यक्ति है तथा अपने भाईयो के साथ मिलकर मारपीट व बलवा जैसी घटना को अंजाम दिया गया, आम जनता के व्यक्तियों को डरा-धमकाकर मारपीट कर जनता में दहशत फैलाना इसकी आम शोहरत है तथा अपराधी के रूप में उभरकर अपराध करने में लिप्त है।
- 8- अभियुक्त बृजेश पुत्र सुक्कू निवासी हरैया थाना जीयनपुर आजमगढ़ (दुराचार) के विरूद्ध थाना जीयनपुर पंजीकृत मु0अ0सं0- 126/18 धारा 376/307/506 जिसमें विवेचना के दौरान धारा 324/34 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी। अभियुक्त द्वारा दिनांक- 30.04.2018 को 20 वर्षीय एक लड़की के साथ चाकू दिखाकर दुष्कर्म किया गया और लड़की के उलाहना लेकर जाने पर वादिनी के पिता व चाचा को चाकू मारकर घायल कर दिया और जान से मारने की धमकी दी गयी।

प्रेस विज्ञप्ति

थाना- बरदह

प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया मुख्तार अंसारी के सहयोगी व शाहजमा उर्फ नय्यर के भाई अभियुक्त अशरफ जमा खां के विरूद्ध खोली गयी हिस्ट्रीशीट

आज दिनांक – 14.07.2022 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा थाना प्रभारी बरदह के रिपोर्ट के आधार पर **प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया मुख्तार अंसारी के सहयोगी व शाहजमा उर्फ नय्यर के भाई अभियुक्त अशरफ जमा खां पुत्र रूस्तम अली, निवासी मुहम्मदपुर फेटी थाना बरदह, जनपद आजमगढ़** के विरूद्ध हिस्ट्रीशीट खोली गयी है। अभियुक्त के विरूद्ध थाना बरदह पर कुल 07 मुकदमें पंजीकृत हैं, पूर्व में गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की जा चुकी है। अभियुक्त द्वारा भाइयो व परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर कई गम्भीर अपराध मारपीट की घटनाओं को अंजाम दिया गया है, यह एक शातिर किस्म का अपराधी बन चुका है जिसके आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण करे लिए इसकी निरन्तर निगरानी की आवश्यकता है, आपराधिक क्रिया- कलापों पर सतत निगरानी हेतु हिस्ट्रीशीट खोली गयी है।